पटना में दिनांक–08 जून, 2026 सोमवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गन्ना उद्योग विभाग

1. मेसर्स सासामूसा सुगर वर्क्स प्रा० लि०, सासामुसा, गोपालगंज का पुनः परिचालन के निमित्त उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य मूलधन की कुल राशि मो० 42,99,09,095.00 (बयालीस करोड़ निन्यानवे लाख नौ हजार पंचानवे) रूपये भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

2. विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत–जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 की स्वीकृति एवं इस योजना को दिनांक–01.07.2026 से लागू करने की स्वीकृति के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

3. डकरानाला पम्प नहर योजना का अवशेष कार्य (असैनिक, यांत्रिक, विद्युत एवं स्काडा सिस्टम सहित) हेतु प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 251.55 करोड़ रूपये (दो सौ इक्यावन करोड़ पचपन लाख) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 3. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

4. बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के तहत् स्वीकृत /प्रस्तावित योजनाओं में केन्द्रांश की प्रत्याशा में विभाग द्वारा कराये गये कार्यों/कराये जाने वाले कार्यों के भुगतान हेतु सी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026–27 में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के केन्द्रांश मद, विपत्र कोड 49–4711010510209 के बजटीय उपबंध रू० 801.32 करोड़ (आठ सौ एक करोड़ बत्तीस लाख रूपये) का पचास प्रतिशत अर्थात रू० 400.66 करोड़ (चार सौ करोड़ छियासठ लाख रूपये) एवं भू–अर्जन मद, विपत्र कोड 49–4711010500201 के बजटीय उपबंध रू० 250.00 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ रूपये) तथा सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य के केन्द्रांश मद, विपत्र कोड 49–4711010510212 के बजटीय उपबंध रू० 240.00 करोड़ (दो सौ चालीस करोड़ रूपये) का पचास प्रतिशत अर्थात रू० 120.00 करोड़ (एक सौ बीस करोड़ रूपये) का उपयोग एवं निकासी व्ययन की स्वीकृति के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

5. सिंधवारणी जलाशय योजना एवं इससे निकलने वाली उच्चस्तरीय मुख्य नहर (0.00 से 317.00 चेन तक) के पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 196.8944 करोड़ रूपये (एक सौ छियानवे करोड़ नवासी लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 5. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

6. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत बिहारशरीफ I&D and STP निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि रू० 101,63,33,464/–(एक सौ एक करोड़ तिरसठ लाख तैंतीस हजार चार सौ चौसठ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

7. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत हाजीपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 131,88,40,241/–(एक सौ इकतीस करोड़ अठासी लाख चालीस हजार दो सौ इकतालिस रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

8. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत बेगूसराय सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि रू० 375,86,61,872/– तीन सौ पचहत्तर करोड़ छियासी लाख एकसठ हजार आठ सौ बहत्तर रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत सहरसा जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 127,45,52,059/–(एक सौ सत्ताईस करोड़ पैंतालीस लाख बावन हजार उनसठ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

10. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–9171, दिनांक–05.12.2023 की कंडिका–9 एवं राज्य सरकार द्वारा 15 वर्ष से पुरानी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की कंडिका –4.2 एवं 4.3 के सभी प्रावधानों को विलोपित किये जाने हेतु संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

11. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आलोक में गैर सरकारी वाहनों को निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रैपिंग हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका–4 (ii) एवं (iii) को विलोपित करने के लिए संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

12. श्री मणिरंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर सम्प्रति अवर निबंधक, सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

13. मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई–स्टाम्प की आपूर्ति) नियमावली, 2026 के नियम–12 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत सेवा प्रदाता के लिए अधिकतम क्रेडिट सीमा रू०–10,00,000/–(दस लाख) मात्र निर्धारित करने तथा बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई–स्टाम्प की आपूर्ति) (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

14. केन्द्र प्रायोजित योजना 'जल जीवन मिशन 2.0' के अंतर्गत् पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन [Memorandum of Understanding (MoU)] पर हस्ताक्षर हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

15. "बिहार वाणिज्य–कर विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय सेवा भर्ती/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2011" को संशोधित करते हुए "बिहार वाणिज्य–कर विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय सेवा भर्ती/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

वित्त विभाग

16. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) द्वारा "Bihar SNA-SPARSH for Just-in-time payments (BIHAR SNA-SPARSH)" सॉफ्टवेयर के विकास/अनुकूलन, परीक्षण, संवर्धन, रखरखाव, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन हेतु मनोनयन के आधार पर अगले दो वर्षों के लिए ₹5,75,39,000 (पाँच करोड़ पचहत्तर लाख उनतालीस हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

17. राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था 'नेशनल को–ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लि०' (NCEL) हेतु राज्य में कार्यरत सहकारी संस्था 'बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लि० (BISCOMAUN) को 'राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी' नामित किये जाने के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

18. ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' (PMFBY) को वित्तीय वर्ष 2026–27 के रबी मौसम से राज्य में पुनः कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

19. राज्य सरकार के सभी विभागों/निगमों/निकायों/बोर्डों इत्यादि में क्रियान्वित ई–क्रय 2.0 प्रणाली से संबंधित निविदा शुल्क में पुनरीक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय निविदाकारों हेतु निविदा शुल्क के निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

20. आई०आई०टी० पटना रिसर्च पार्क के निर्माण कार्य का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं सम्पूर्ण योजना का संचालन एवं प्रबंधन आई०आई०टी० पटना के द्वारा किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

21. इन्क्यूबेशन सेंटर आई०आई०टी० पटना फेज–2 योजनान्तर्गत कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना तथा सम्पूर्ण योजना का संचालन एवं प्रबंधन आई०आई०टी० पटना के द्वारा किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

22. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत संचालित सभी छः प्रकार के पेंशन योजनाओं यथा–इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन येाजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के पेंशनधारियों को माह मई, जून एवं जुलाई, 2026 के पेंशन भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से रू० 366209.97 लाख (तीन हजार छः सौ बासठ करोड़ नौ लाख सनतानवे हजार रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — **22. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

23. बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — **23. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

24. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 10 के अंतर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करने, इससे संबंधित विभागों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं क्लियरेंस हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के निर्धारण के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को प्राधिकृत करने की स्वीकृति के संबंध में। — **24. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

25. बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — **25. स्वीकृत।**